प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

दुष्कर्म के अभियुक्त पर रा.सु.का (N.S.A.) की कार्यवाही

दिनांक 04.07.21

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह के द्वारा जनपद में घटित गम्भीर अपराधों में कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में थाना नैमिषारण्य पुलिस द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाले अभियुक्त रामकिशुन पुत्र कढिले नि0 श्रीनगर मजरा मरेली थाना नैमिषारण्य जनपद सीतापुर के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) 1980 की कार्यवाही की गयी है।

थाना नैमिषारण्य पुलिस द्वारा दिनांक 26.02.21 को अभियुक्त रामकिशुन पुत्र कढिले नि0 श्रीनगर मजरा मरेली थाना नैमिषारण्य जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त द्वारा दिनांक 25/26.02.21 को दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में थाना नैमिषारण्य पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त रामकिशुन उपरोक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 27.02.21 को जेल भेजा गया था। अभियुक्त के उक्त कृत्य से जनमानस में काफी आक्रोश एवं भय व्याप्त हो गया था, जिससे लोक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। पर्याप्त पुलिस बल लगाकर स्थिति को सामान्य किया गया था तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने एवं संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के बाद लोगो में विश्वास कायम हो सका । पंजीकृत

अभियोग की विवेचना पूर्ण करते हुये दिनांक 20.03.21 को आरोप पत्र संख्या 36/21 माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त वर्तमान मे जिला कारागार सीतापुर मे बंद है। अभियुक्त जमानत पर बाहर आने हेतु प्रयासरत था। N.S.A. अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप अभियुक्त को अग्रिम एक वर्ष तक के लिए निरूद्ध किये जाने हेतु निरुद्धि आदेश जेल में तामील कराया गया।

क्षेत्र की लोक व्यवस्था के अनुरक्षण एवम् अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्त रामकिशुन पुत्र कढिले नि0 श्रीनगर मजरा मरेली थाना नैमिषारण्य जनपद सीतापुर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) की कार्यवाही की गयी है। कार्यवाही से जनमानस मे पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियों के मध्य कड़ा संदेश प्रेषित हुआ है।

अभियुक्त का नाम पता- रामकिशुन पुत्र कढिले नि0 श्रीनगर मजरा मरेली थाना नैमिषारण्य जनपद सीतापुर